दिनांक 27.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन , आगरा।

जनपद एटा /थाना नयागांव

- **पुलिस कार्यवाही में 15,000 रूपये का हिस्ट्रीशीटर इनामिया, अवैध तमंचा कारतूस सहित किया गिरफ्तार।**

दिनांक 26.11.26 को थाना नयागांव पुलिस द्वारा मुअसं0 – 46/26 धारा 191(2), 191(3), 190, 131, 109(1), 351(3) बीएनएस में वांछित 15,000 रूपये के ईनामिया अभियुक्त संदेश पुत्र रनवीर सिंह निवासी ग्राम बिनौरा थाना नयागांव जनपद एटा को ग्राम खरसुलिया से एक अवैध तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 133/26 में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्तर से अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. संदेश पुत्र रनवीर सिंह निवासी ग्राम बिनौरा थाना नयागांव जनपद एटा

बरामदगी

1. एक अवैध तमंचा 315 बोर
2. दो जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु.अ.सo-160/12 धारा 147/148/149/384/504/506 भादवि नयागाव एटा
2. मु.अ.स०-164/ 12 धारा 3 UP गुण्डा एक्ट थाना नयागाव एटा
3. मु.अ.स. 10/15 धारा 323/504/325 भादवि थाना नयागाव एटा
4. मु.अ.सo- 101/15 धारा 136 क वि.अधि. व 506 भादवि थाना नयागाव एटा
5. मु.अ संo- 141/15 धारा 110 G सीआरपीसी थाना नयागांव एटा
6. मु.अ.स०- 42/17 धारा 110G CRPC थाना नयागाव एटा
7. मु.अ.स०- 37/18 धारा 3 UP गुण्डा एक्ट थाना नयागांव एटा

8. मु.अ.स०- 47/18 धारा 323/504/452 भादवि थाना नयागाव एटा
9. पेटी केस नं. 27/20 धारा 110G सीआरपीसी थाना नयागाव एटा
10. पेटी केस नं. 32/20 धारा 3 UP गुंडा एक्ट थाना नयागाव एटा
11. मु.अ.स. 228/20 धारा 147/148/149/452/323/504/506 भादवि थाना नयागाव एटा
12. मु.अ.स. 17/20 धारा 323/452/506 भादवि थाना नयागाव एटा
13. मु.अ.स०- 21/22 धारा 07/323/336/392/506 भादवि थाना नयागाव एटा
14. मु०अ०सं०-43/24 धारा 323/506 भादवि थाना नयागांव एटा
15. मु.अ.स०-1 1/20 धारा 307/323/504 भादवि थाना नयागाव एटा
16. मु.अ.स. 17/22 धारा 1 47/148/323/452/504/506 थाना नयागांव एटा
17. मु०अ सं०-46/25 धारा 109(1), 131,190,191(2),191(3),351 (3) बीएनस थाना नयागाव एटा
18. मु अ सं०-133/26 धारा 262/221/263/132/191(2) बीएनस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नयागांव जनपद एटा।

जनपद अलीगढ़ /थाना लोधा

- **पुलिस कार्यवाही में वांछित अभियुक्त लूट के 650/- रूपये व एक मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार।**

दिनांक 18.11.2026 को अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर वादी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने, 20 हजार रुपये फोन-पे कराने एवं चाँदी की चेन लूटने के संबंध में मु0अ0सं0 359/2026 धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया था । थाना लोधा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 359/2026 धारा 309(6) बीएनएस में वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मूसेपुर थाना लोधा जनपद अलीगढ़ को लूट के 650/- रूपये व एक मोबाईल फोन सहित थाना क्षेत्र लोधा से गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अभिषेक पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मूसेपुर थाना लोधा जनपद अलीगढ़

बरामदगी

1. लूट के 650/- रूपये
2. एक मोबाईल फोन

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 359/2026 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना लोधा जनपद अलीगढ़
2.मु0अ0सं0 434/2025 धारा 115(2)/351(2) बीएनएस व 3(2)(5A) एससी/एसटी एक्ट थाना रोरावर जनपद अलीगढ़
3.मु0अ0सं0 340/2025 धारा 109(1)/191(2)/115(2)/352 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना लोधा जनपद अलीगढ़
4.मु0अ0सं0 302/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लोधा जनपद अलीगढ़
5.मु0अ0सं0 132/2022 धारा 147/148/149/302/307/323/34 भादवि थाना लोधा जनपद अलीगढ़

जनपद मथुरा /थाना मांट

- **पुलिस कार्यवाही में गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**

थाना मांट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 27.11.2026 समय 08.50 बजे ग्राम हरनोल थाना क्षेत्र सुरीर जनपद मथुरा से अभियुक्त 1.अवनेश उर्फ अमित पुत्र बबलू निवासी सारसौल फल मण्डी के पीछे नगला बावन उर्फ मुरारी थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ उम्र करीब 24 वर्ष (गैंग लीडर), 2.करन पुत्र दीपक गोस्वामी निवासी हरनौल थाना सुरीर जनपद मथुरा हाल पता मैत्रीघर वाली गली पानीघाट वृन्दावन थाना वृन्दावन जनपद मथुरा उम्र करीब 24 वर्ष (गैंग का सदस्य) व 3.अरुन कुमार उर्फ अन्ना पुत्र राजू निवासी गाँव हरनौल थाना सुरीर जनपद मथुरा उम्र करीब 20 वर्ष (गैंग का सदस्य) सम्बन्धित मु0अ0सं0 261/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना मांट से आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.अवनेश उर्फ अमित पुत्र बबलू निवासी सारसौल फल मण्डी के पीछे नगला बावन उर्फ मुरारी थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ उम्र करीब 24 वर्ष (गैंग लीडर)।
2.करन पुत्र दीपक गोस्वामी निवासी हरनौल थाना सुरीर जनपद मथुरा हाल पता मैत्रीघर वाली गली पानीघाट वृन्दावन थाना वृन्दावन जनपद मथुरा उम्र करीब 24 वर्ष (सदस्य)।
3.अरुन कुमार उर्फ अन्ना पुत्र राजू निवासी गाँव हरनौल थाना सुरीर जनपद मथुरा उम्र करीब 20 वर्ष।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त अवनेश उर्फ अमित का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 145/26 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना मांट मथुरा।
2.मु0अ0सं 148/26 धारा 109(1) बीएनएस व 5/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मांट मथुरा।
3.मु0अ0सं0 187/18 धारा 379/411 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ।
4.मु0अ0सं0 663/19 धारा 411/414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ।
5.मु0अ0सं0 1118/19 धारा 392/411 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ।
6.मु0अ0सं0 123/22 धारा 379/411 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ।
7.मु0अ0सं0 124/22 धारा 379/411 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ।
8.मु0अ0सं0 155/22 धारा 411/414 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ।
9.मु0अ0सं0 824/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ।
10.मु0अ0सं0 145/22 धारा 379/411 भादवि थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ।
11.मु0अ0सं0 1173/19 धारा 392/411 भादवि थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर।
12.मु0अ0सं0 526/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फेस – 02 गौतमबुद्ध नगर।
13.मु0अ0सं0 - 69/23 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना हरदुआगंज, अलीगढ ।
14.मु0अ0सं0 - 261/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट – थाना मांट जिला मथुरा।

अभियुक्त करन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 148/26 धारा 109(1) BNS व 5/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मांट जिला मथुरा।
2.मु0अ0सं0 145/26 धारा 309(6)/ 317(2) BNS थाना मांट, जिला मथुरा।
3.मु0अ0सं0 111/25 धारा 305/ 317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मांट जिला मथुरा
4.मु0अ0सं0 85/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सुरीर जिला मथुरा।
5.मु0अ0सं0 133/20 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना वृन्दावन जिला मथुरा।
6.मु0अ0सं0 66/20 धारा 41/102 सीआरपीसी थाना नौहझील जिला मथुरा।
7.मु0अ0सं0 135/19 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना गोविन्द नगर जिला मथुरा।
8.मु0अ0सं0 127/19 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना वृन्दावन जिला मथुरा।
9.मु0अ0सं0 261/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मांट जिला मथुरा।

अभियुक्त अरुन कुमार उर्फ अन्ना उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 145/26 धारा 309(6)/ 317(2) BNS थाना मांट जिला मथुरा।
2.मु0अ0सं0 261/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मांट जिला मथुरा।